चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 12.07.2026 को पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ पुलिस कार्यालय में,अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकान्त राय द्वारा पुलिस लाइन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ पुलिस लाइन परिसर व क्षेत्राधिकारी नगर,क्षेत्राधिकारी राजापुर एवं क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा अपने अपने कार्यालय परिसर में तथा जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने अपने थाना परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया।

वृक्षारोपण कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, प्रदूषण नियंत्रण एवं मानव जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए तथा उसकी देखभाल भी करनी चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए वृक्षों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आमजन से भी अपील की गई कि वे अधिकाधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में सहभागी बनें।

चित्रकूट पुलिस द्वारा जनपद को हरा-भरा एवं स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से भविष्य में भी ऐसे जनकल्याणकारी एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति का अभ्यस्त अपराधी जो दबंगई व गुण्डई के बल पर भोली-भाली जनता में गाली गलौज,जान से मारने की धमकी देने,भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.सुदामा मिश्रा पुत्र रामराज उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भरकुर्रा थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 2.अमित कुमार पुत्र मुन्ना यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मकरी पहरा थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 3.अशोक पुत्र शिवमंगल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम शिवपुरी नादी थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 4.गोविन्द पुत्र मुन्नालाल 23 वर्ष निवासी ग्राम ओरा थाना पहाडी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(4). आज दिनांक 12.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 के अंतर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण (डीवी/पीएसटी) कार्य में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारीगणों की ब्रीफिंग आयोजित की गई।

ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा चयन प्रक्रिया को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने निर्देशित किया कि अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा निर्धारित मानकों के अनुरूप सावधानीपूर्वक की जाए तथा शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता, ईमानदारी एवं उत्तरदायित्व के साथ करने तथा चयन प्रक्रिया की गरिमा एवं पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही अभ्यर्थियों के साथ शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार करने तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा अनियमितता न होने देने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा।

ब्रीफिंग में चयन प्रक्रिया से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया तथा सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। ब्रीफिंग के दौरान उपजिलाधिकारी मऊ श्रीमती पूजा गुप्ता,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद,प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव,प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री शिवआसरे, प्रभारी आंकिक श्री अमृत लाल सरोज एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
(1). उ0नि0 श्री इमरान खान व उ0नि0 अवधेन्द्र त्रिपाठी थाना मऊ के द्वारा परिवाद संख्या 390/2021 धारा 354,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त कमल सिंह पटेल पुत्र मुल्लू सिंह उर्फ रामलखन सिंह पटेल निवासी ग्राम टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(2). उ0नि0 श्री रविकान्त राय,उ0नि0 अखिलेश सिंह यादव, उ0नि0 सुनील कुमार राय व रि0आरक्षी सचिन यादव थाना रैपुरा द्वारा मु0नं0 40/2019 मु0अ0सं0 135/2012 धारा 325,323,504 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त चुनवाद पुत्र भोदल राजपूत निवासी पवारी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(3).उ0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह रि0आरक्षी सत्येश कुमार,रि0आरक्षी सचिन सिंह चौहान थाना पहाड़ी द्वारा मु0नं0 107/2019 मु0अ0सं0 68/2006 धारा 380,454,411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त लक्ष्मण पुत्र भोंदू लोध उम्र करीब 40 वर्ष निवासी कहेटामाफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(4).उ0नि0 श्री बलवन्त यादव मय हमराह रि0आरक्षी नागेन्द्र यादव व रि0आरक्षी आशीष कुमार पटेल थाना भरतकूप द्वारा मु0नं0 870/2016 धारा 147,323,325,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.सोनू पुत्र सुखलाल उम्र करीब 30 वर्ष 2. सन्तुल पुत्र नेता उर्फ रामलाल निवासीगण कुम्हारन पुरवा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री निशिकान्त राय प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने अपहृता को सकुशल बरामद किया। उल्लेखनीय है कि दिनाँक 05.07.2026 को एक वादिनी द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी गयी थी कि दिनांक 04.07.2026 को समय करीब 08.00 बजे वादिनी की नाबालिक पुत्री उम्री 16 वर्ष सोनीपुर जिला अस्पताल दवा कराने के लिए अकेले गयी थी। जिला अस्पताल से घर वापस नही आयी शक है कि छोटू भगा ले गया है। सूचना के आधार पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 140/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम वाइस्तवाह छोटू पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं पीड़िता की बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री जंगबहादुर सिंह को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री जंगबहादुर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुखविर की सूचना पर पीड़िता को बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।
बरामद करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री जंगबहादुर सिंह
2.म0का0 सोनाली पटेल

SHO बरगढ़ ने 07 अभियुक्तों के विरूद्ध मिनी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्रीमती रीता सिंह द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति का अभ्यस्त अपराधी जो दबंगई व गुण्डई के बल पर भोली-भाली जनता में गाली गलौज,जान से मारने की धमकी देने,भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.सूरज पुत्र रामलखन वर्मा 2.आशीष पुत्र लवकुश वर्मा 3.मिथून पुत्र नन्दकिशोर वर्मा निवासीगण कोरियाडीह मजरा तुरगवां थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 4.प्रेम बहादुर पुत्र सुखलाल प्रजापति 5.अमर बहादुर पुत्र सुखलाल प्रजापति निवासीगण करौदी खुर्द थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 6.गोरेलाल शुक्ला पुत्र रामसजीवन निवासी बरगढ़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 7.रविश कुमार उर्फ दादाभाई पुत्र सरदारीलाल निवासी गोकुलपुरवा मजरा तुरगवां थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।